**संख्या-64/2020/2212/22-2-2019-17(36)/2014**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2** **लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हसीनुद्दीन उर्फ यासीन पुत्र श्री दानिश अली, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हसीनुद्दीन उर्फ यासीन पुत्र श्री दानिश अली, निवासी-ग्राम-तेरिया, थाना-लोनार, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी ने उधार के पैसे के लेनदेन के विवाद में दिनांक 31-05/01-06-1982 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पिस्तौल से गोली मारकर रघुवर नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-673/82 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 27.07.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 02 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने उधार के पैसे के लेनदेन के विवाद में दिनांक 31-05/01-06-1982 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पिस्तौल से गोली मारकर रघुवर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हसीनुद्दीन उर्फ यासीन पुत्र श्री दानिश अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हसीनुद्दीन उर्फ यासीन (बन्दी संख्या-22494) पुत्र श्री दानिश अली, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-64/2020/2212(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-64/2020/2212/22-2-2019-17(36)/2014**

दिनांक 31 **जनवरी**, 2020 का संलग्नक

**सरकार के आदेश**

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हसीनुद्दीन उर्फ यासीन (बन्दी संख्या-22494) पुत्र श्री दानिश अली, निवासी-ग्राम-तेरिया, थाना-लोनार, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी ने उधार के पैसे के लेनदेन के विवाद में दिनांक 31-05/01-06-1982 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पिस्तौल से गोली मारकर रघुवर नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-673/82 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 27.07.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 02 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 02 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने उधार के पैसे के लेनदेन के विवाद में दिनांक 31-05/01-06-1982 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पिस्तौल से गोली मारकर रघुवर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हसीनुद्दीन उर्फ यासीन पुत्र श्री दानिश अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in